when used as industrial feedstook in the manufacture of Carbon Black (b) do away with the restrictive clause appearing against Sl. No. 11A. 13 of the Notification No. 75/84-CE dated the 1st March, 1984 as regards the proportion of indigenous crude oil-vis-a-vis imported crude oil required to be maintained for availing of the duty exemption on Low Sulphur Heavy Stock produced in a refinery and intended to be used as fuel for the generation of electrical energy by specified electricity undertakings.

(iv) G.S.R. 310 (E) published in Gazette of India dated the 28th April, 1984 together with an explanatory memorandum extending the validity of Notification Nos. 127/83-CE and 128/83-CE dated the 27th April, 1983 upto 30th April, 1986.

[Placed in Library. *See* No. LT-8296/84]

(4) A copy of the *Review (Hindi and English versions) by the Government on the working of the National Bank for agriculture and Rural Development, for the year dated the 30th June, 1980.

[Placed in Library. *See* No. LT-8297/84].

Audit Report on the Accounts of Coffee Board for 1979-80

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P.A. SANGMA) : I beg to lay on the Table a copy of the Audit Report (Hindi and English versions) on the Accounts of the Coffee Board for the year 1979-80 (Pool Fund). [Placed in Library. *See* No. LT-8298/84].

12.11 hrs.

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha :—

(i) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Finance Bill, 1984, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 23rd April, 1984, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill".

(ii) "In accordance with the provisions of sub-rule (6) of Rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Punjab Commercial Crops Cess (Amendment) Bill, 1984, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 27th April, 1984, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill".

12.12 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 7th May, 1984, will consist of :

(1) Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

(2) Consideration and passing of :

(a) The Visva Bharati (Amendment) Bill, 1984, as passed by Rajya Sabha.

(b) The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1983.

---

*The Annual Report was laid on the Table on 30th March, 1984.

(c) The Delhi Rent Control (Amendment) Bill, 1980.

(3) Discussion on the present international situation and the Government of India's policy in relation thereto on a motion to be moved by the Minister of External Affairs.

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है। कल ही सदन में माननीय मन्त्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि लैण्ड एक्वीजिशन अमेन्डमेंट बिल आ रहा है—यह बात प्रोसीडिंग्ज में भी है - वह क्यों नहीं लाया गया इसका जवाब मन्त्री जी दें। चार वर्षों से लगातार कहा जा रहा है कि बिल ला रहे हैं, प्रधान मन्त्री ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा और आपने भी कहा कि आना चाहिए और कल भी यहां पर मंत्री जी ने कहा कि आ रहा है फिर क्यों नहीं लाया गया—इसका जवाब आप दिलवाइये ।

श्री बूटा सिंह : मैंने जो कल कहा था उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। बड़ी एडवांस्ड स्टेज पर विचार चल रहा है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, मैं अगले सप्ताह में निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं :

संसद में बार बार मांग करने एवं महाराष्ट्र में लगातार चल रहे आन्दोलन के बावजूद भी मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदल कर डा० भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय नहीं रखा गया। यह भले ही राज्य का विषय है, लेकिन करोडों अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लोगों तथा डा० अम्बेडकर के अनुयाइयों की भावना पर चोट पहुंच रही है। महाराष्ट्र विधान सभा ने 1978 में सर्वसम्मति से निर्णय किया था कि औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर विश्व विश्द्यालय कर दिया जाए।

महाराष्ट्र तथा देश के दूसरे भागों में इसको लेकर आन्दोलन चल रहे हैं। अत: या तो सरकार इसे माने या इस सम्बन्ध में बहस कराई जाये।

सरकार की नीति है कि वह किसी जाति विशेष के नाम से सरकारी विभागों में संघ की मान्यता नहीं देती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी जब भी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ की मांग करते हैं सरकार यह तर्क देती है कि जाति के नाम पर किसी भी ऐसे संगठन को मान्यता नहीं देगी। लेकिन आश्चर्य है कि रक्षा मंत्रालय में आज भी जाति के नाम से विभिन्न रेजिमेंट चल रहे हैं। सिद्धांत में भले ही किसी भी रेजिमेंट में किसी अन्य समुदाय के लोगों की नियुक्ति की बात की जाती है लेकिन व्यवहार में जिस जाति का रेजिमेंट रहता है उसी समुदाय के लोगों की नियुक्ति होती है। इसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति एवं ऐसे समुदाय जिनका रेजिमेंट नहीं है, का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। यह प्रथा अंग्रेजों ने चलाई थी जिसका उद्देश्य फूट डालो और राज करो था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संसदीय अनुसूचित जाति जनजाति की समिति ने भी जाति के आधार पर गठित रेजिमेंट का विरोध किया है।

अत: सरकार से मांग है कि या तो जाति के नाम पर चल रहे तमाम रेजिमेंट का नाम बदला जाए या फिर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के नाम से भी रेजिमेंट खोला जाए। जिससे उन्हें भी अपना शौर्य एवं वीरता का प्रदर्शन करने का मौका मिले।

श्री टी० एस० नेगी० (टिहरी गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, दिनांक 7 मई, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य के बारे में जो वक्तव्य संसद कार्य मंत्री ने दिया है, उसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए जाएं :

1. नेशनल डेरी विकास बोर्ड के चेयरमैन तथा उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं से जहाँ देश का आर्थिक ढांचा कमजोर हुआ है वहीं पर डेयरी के नाम से लोगों को घृणा पैदा हो गई है। आपरेशन फ्लड प्रथा

सक्सेस नहीं हो पाया फिर भी दूसरा आपरेशन फ्लड चालू करवा दिया गया। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

2. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों जैसे टिहरी, पौड़ी, उत्तर काशी, चमोली, देहरादून में विकास कार्यों के नाम पर लूट हो रही है। केन्द्र सरकार से जो सहायता मिलती है उसको कर्मचारी तथा अधिकरी मिलकर दुरुपयोग कर रहे हैं। जिससे गढ़वाल का विकास कार्य होना असम्भव है। इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): For next week's business, I wish to suggest the following items :

Being a Member of Parliament is now a full time job. It is no more for mere legislative activity that one is in Parliament. The old concept of part-time occupation for MPs is clearly out of date. Now for the conscientious MP, there is no vacation, spare time, or possibility of other occupation or earning. There is no time even for the family.

Therefore, Parliament should legislate emoluments and perquisites in keeping with the new concept of ful-time involvement of MPs. I suggest the following amendments be brought forward by the Government to enable MPs to perform more efficiently, honestly, as well as make it worthwhile for those in other professions to make sacrifice of it and enter parliamentary politics :

1. full time Stenographer and two Research Assistants be provided out of the Consolidated Fund at each place in Parliament as well as in the Constituency for every MP.

2. All post on parliamentary insignia envelopes be free of charge.

3. Unlimited air travel free of cost between Delhi and the nearest point in the constituency be allowed.

These three amendments the Minister should bring forth next week. At least he should refer them to the Salary and Allowances Committee so that the next Parliament could consider it.

SHRI BUTA SINGH : Let there be another conclave of all the political parties to decide whether these issues are acceptable to everybody and then we will come to you.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : You call for that conclave.

MR. SPEAKER : Only if all will agree ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : We all agree.

SHRI BUTA SINGH : Only if all of them agree.

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही में शामिल करने के लिए निम्नलिखित विषय जरूरी समझता हूं :

इस साल मार्च, अप्रैल और मई में आग लगने के वाक्यात देश के हर हिस्से में हो रहें हैं। अभी कल ही दिल्ली के सीमापुरी इलाके में और अलीगढ़ जिले के गांव में भयानक आग से सात और दस लोगों के मरने के समाचार मिले हैं। सैंकड़ों मकान झुग्गी-झोंपड़ी आग की लपेट में आ गए हैं। सैंकड़ों गरीब लोग बेघर हो गए हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले तीन महीनों में हजारों वाकयात हुए हैं जिनमें जानें भी जाया हुई और गरीबों की झोंपड़ी खपरेल पक्के मकान और खलिहान में रखी हुई फसल तबाह और बरबाद हो गई। गोरखपुर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 54 गांव में अब तक आग लग चुकी है जिससे जान-माल मकान झुग्गी-झोंपड़ी, मवेशी और तैयार फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। देश की बात है कि पुरानी सरकारी कायदे-कानून दुर्घटनाओं और दैवी आपदाओं के वक्त मुसीबतजदा लोगों की बड़े पैमान पर मदद में बाधक होते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं में सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर मदद की जानी चाहिए। मरने वाले के परिवार को 25,000 रु० मवेशी के लिए 1,000 रू० मकान के लिए 5000 रू० और फसल के लिए समुचित सहायता और मुआवजा तत्काल देना चाहिए।

شری اشفاق حسین (مہاراج گنج) : ادھیکش مہودے۔ اگلے سپتاہ کی کارروائی میں شامل کرنے کے لئے نمنلکھت وشے ضروری سمجھتا ہوں:

اس سال مارچ، اپریل اور مئی میں آگ لگنے کے واقعات دیش کے ہر حصے میں ہو رہے ہیں۔ ابھی کل ہی دلی کے سماپوری علاقے میں اور علی گڈھ ضلعے کے گاؤں میں بھیانک آگ سے سات اور دس لوگوں کے مرنے کے سماچار ملے ہیں۔ سیکڑوں مکان، جھگی جھونپڑی آگ کی لپیٹ میں آگئے ہیں۔ سیکڑوں غریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے اتر پردیش میں پچھلے تین مہینوں میں ہزاروں واقعات ہوئے ہیں جن میں جانیں بھی ضائع ہوئیں اور غریبوں کی جھونپڑی، کھپریل، کچے مکان اور کھلیہان میں رکھی ہوئی فصل تباہ اور برباد ہو گئی۔ گورکھپور ضلعے میں میرے نرواچن چھیتر میں ۵۴ گاؤں میں اب تک آگ لگ چکی ہے جس سے جان، مال، مکان، جھگی، جھونپڑی، مویشی اور تیار فصل کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ پرانی سرکاری قاعدے قانون درگھٹناؤں اور دیوی آپداؤں کے وقت مصیبت زدہ لوگوں کی [illegible] مدد میں بادھک ہوتے ہیں۔ ایسی درگھٹناؤں میں سرکار کی طرف سے بڑے پیمانے پر [illegible] مرنے والے [illegible] کو ۲۵۰۰۰ روپئے، مویشی کے لئے ۱۰۰۰ روپئے، مکان کے لئے ۵۰۰۰ روپئے اور فصل کے لئے معاوضہ [illegible] اور معاوضہ تتکال دیا جانا چاہئے۔

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : इसको तो आगले सप्ताह चर्चा के लिए ले लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : देख लेते हैं ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्ती पुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज संसद कार्य मंत्री को अगले सप्ताह के कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं :

दस हजार मेगावाट के परमाणु बिजली घर लगाने की योजना को हरी डंडी देकर अगले सोलह सालों में 140 अरब रु० खर्च करने का रास्ता साफ कर दिया गया है । अब 235 मेगावाट के 17 और 500 मेगावाट के दस परमाणु बिजली घर लगाने का विचार है । होमी भाभा और विक्रम सारा भाई का कुल बिजली का तीन चौथाई परमाणु बिजली घरों में बनाने का सपना टूट चुका है । विश्व ऊर्जा सम्मेलन में रूस से 440 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर खरीदने का सुझाव दिया गया परन्तु कोटा के लिए बनी सरकारी समिति ने पूरी परमाणु योजना के बखिए उधेड़ दिए । इससे न तो आत्मनिर्भरता आई न बिजली ।

अत : जब तक सामरिक वजरों से परमाणु ऊर्जा सही न मानी जाए यह कार्य क्रम किसी कसौटी पर खरा नहीं उतरता क्योंकि जब तक परमाणु बिजली घर 600 मेगावाट से बड़े न हों वे तापीय बिजली घरों से होड़ में अक्षम हैं ।

एशियाई विकास बैंक से बीस अरब रुपए के कर्ज पर भारत की अर्जी पर तीन साल से आनाकानी हो रही है जो अमेरिका अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष से 66 अरब रु० का कर्ज लेने में मामूली विरोधी था । सस्ते दर पर एशियाई बैंक से 20 अरब के कर्ज का आज तक विरोधी है । यद्यपि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में हमें अपने अधिकारों की रक्षा की पूरी कोशिश करनी चाहिए । परन्तु विदेशी मदद पर निर्भरता घटा कर अपने संसाधन जुटाना चाहिए । पर अब एक दलील है कि विदेशी कर्ज लेकर ऐसी परियोजना में लगाए जिससे आमदनी बढ़े और ज्यादे विदेशी मुद्रा मिले । आत्मनिर्भरता और विकास के लिए हमें इससे बचना होगा ।

12.20 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

SHRI G.M. BANATWALLA (Ponnani) : The Prime Minister was pleased to issue a directive on May 11, 1983 to the various Union Ministries and all the Chief Ministers of States and Administrators of Union Territories regarding measures to be taken for a fair and just deal to minorities, especially Muslims. These measures related to the question of physical security as also educational and economic problems being faced by minorities. However, there is hardly any implementation of those measures (howsoever inadequate they may have been)

apart from only forwarding them to the concerned authorities and a mere creation of a cell in the Union Home Ministry. The directive had further provided that quarterly reports be sent by the authorities on the action taken to implement the measures and the decisions. A year has since passed by and the reports are still awaited. There is need for a co mprehensive statement by the government and a full discussion in the House.

I have also submitted a motion for modification of the Rules made by the Government under the Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983. Nearly seven out of the proposed 20 tribunals have already been set up and others are being constituted. I urge that my motion for modification of the Rules, which has already been admitted, be taken up in order to ensure that in the functioning of the tribunals no harassment is caused to the minorities.

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : I intend that the following items be included in the next week's List of Business.

(1) The Central Government is yet to pay two D.A. instalments to its employees that had already fallen due since January last even after the recent release of three instalments of D.A., and some instalments will become due in the coming months if the price situation remains unaltered.

The employees are rightly agitated on the non-payment of D.A. at the time it becomes due. The employees are suffering doubly as the present system of D.A. payment does not compensate fully for the price rise. The delay in payment further adds to their loss.

The employees organisations (Central and States) have already made their intention to agitate known and have reportedly decided to call for a strike ballot. It involves several lakhs of the Central and State Government employees.

A discussion of the subject is urgently called for.

(2) The House may be aware that eight bills passed by the West Bengal Legislative Assembly are yet to be accorded presidential assent. Some of the Bills which have been passed to give effect to the important electoral promises given by the combination of the parties now in power in the State, are awaiting the assent since 1981.

A statement from the Government clarifying the position is urgently called for.

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinagar) : The tourist season which has just begun in Kashmir seems to draw a *blank as tourists are coming in very small* number and if the situation continues in coming months crucial for tourist trade, it shall ruin the economy of the State. The reason is obvious. Punjab is the gateway of Kashmir and deterioration in law and order in that State shall have severt consequences for tourist trade. People travelling from Delhi, Bombay, Calcutta, Madras and other important cities besides trourists from abroad do not find life and property safe in trains and there is always fear of sabotage on trains *en raute* to Jammu like tempering with fish-plates or removal of railway tracks etc. Only air route is considered safe for travelling to Jammu & Kashmir and tourists are mostly avoiding trains for this purpose.

The Government of India must tackle the problem affecting the tourist trade and virtually the problem of the livelihood of lakhs of Kashmiris, sympathetically and on top priority basis. This is a matter pertaining to artisans and business community selling handicrafts and many hoteliers and house-boat owners are sitting idle. The answer to the problem is that airflights must be increased many-fold to Srinagar in order to cater to the tourists not willing to travel by trains.

Special subsidy must be given on air tickets. Besides, concessional seasonal air tickets should be issued. Amount spent thus cannot only sustain tourist trade and sagging economy of Jammu & Kashmir but shall give boost to the Indian tourism and encourage foreign tourists to visit Kashmir. If their number is increased, the income to the industry shall also be increased.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : Only the statement just now made will go on record.

**Not recorded.

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्न विषय आगामी सप्ताह के एजेन्डे में सम्मिलित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं :

(1) राजस्थान प्रान्त विद्युत संकट के गंभीर दौर में गुजर रहा है। कोटा अणु बिजली घर की प्रथम इकाई 4 मार्च,1982 से बंद है। केन्द्र सरकार के आणविक विभाग ने इसकी जाँच के बारे में प्रसाद कमेटी नियुक्त की थी। उक्त कमेटी को रिपोर्ट प्रस्तुत किये हुए भी छः माह हो चुके हैं परन्तु अभी तक कोटा अणु बिजली घर की इकाई नं० 1 के शुरू न होने से विद्युत संकट की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। केन्द्र सरकार उक्त कमी की पूर्ति के लिये सिंगरोली सुपर थर्मल प्लान्ट में अपने रिजर्व का हिस्सा राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को दे और प्रदेश के विद्युत के स्थायी हल के लिये कोटा में दो अणु बिजली घर स्थापित करे।

(2) केन्द्र सरकार ने राजस्थान प्रान्त में स्वतन्त्रता के बाद में नई रेलवे लाइनों की स्थापना में बड़ी उदासीनता की नीति अपनाई है। राजस्थान के पश्चिमी सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों की तो और भी अधिक अवहेलना की गई है। मेरे लोक सभा बाड़मेर-जैसलमेर निर्वाचन क्षेत्र में, जो कि क्षेत्रफल के लिहाज से केरल प्रान्त से दुगुना और पंजाब के बराबर है, पठानकोट से कांडला वाया बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ब्रोडगेज की मांग मैं बराबर कर रहा हूं। इस को रेलवे विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में लेने का प्रस्ताव है और केन्द्र सरकार के वित्त एवं योजना विभाग मान्यता दे कर सातवीं पंचवर्षीय योजना में पठानकोट से कांडला ब्रोडगेज रेलवे लाइन का कार्य कम्पलीट करे।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विद्यार्थी, लड़के व लड़कियां जो पंजाब व यूनिवर्सिटी से इम्तिहान देने वाले हैं, उनको बड़ी तक्लीफ हुई है क्योंकि उनका सेन्टर हरियाणा में रोहतक, हिसार न रख कर के दिल्ली रखा है जिससे लड़के व लड़कियां आईं और उन्हें वापिस भी जाना पड़ा क्योंकि उनके ठहरने का इन्तजाम नहीं हुआ। इसलिए उनका सेन्टर हरियाणा में बनाया जाये। इसी तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में घांधली और कुछ परीक्षाओं के दोबारा होने का एलान हुआ है जिससे परीक्षा पद्धति पर आघात पहुंचा है। इसको अगले सप्ताह की कार्यवाही की सूची में शामिल किया जाये।

2—डाक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बार-बार जो डाक्टरों की हड़ताल होती है, उनके कारणों को जानना चाहिये। क्योंकि डाक्टरों की हड़ताल से जब सब से बड़े अस्पताल में काम बन्द हो जाता है तो इन्सानी जिन्दगी की कीमत नहीं रह जाती है। इसलिये अगले सप्ताह इस पर विचार किया जाये और सोचा जाये कि ऐसा कौन-सा कारण है जिनसे कि हड़ताल होती है और उन कारणों का समाधान कैसे किया जाये ताकि कभी हड़ताल न हो।

MR. DEPUTY-SPEAKER : I saw some Press reports that the strike has been called off.

श्री मनीराम बागड़ी : आगे न हो, इस पर सोचा जाये क्योंकि यह पहले भी होती रही है।

SHRI BUTA SINGH : Mr. Deputy Speaker, Sir, in all ten hon. Members spoke about the subjects which they would like us to include in the next week's agenda. Out of them, six have gone away after mentioning their points and only four hon. Members are present. This only shows that they have served their purpose. They wanted to highlight the things and these have been highlighted.

As you know, the points mentioned by the hon. Members are quite important but as you also know, the Business Advisory Committee has to find time for these points to be included in the next week's agenda. I will definitely carry these points and present them before the Advisory Committee and I will also convey the feelings of the hon. Members. If the Business Advisory Committee can find some time, we will definitely like to have these subjects discussed.